

**GOVERNMENT OF HARYANA
SECONDARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 12/102-2021 PGT-IV (1)

Dated: 21.12.2021

Relaxation in Rules is hereby granted to Smt. Suruchi W/o Late Sh. Kulwinder, PGT Physics, GSSS Nathuwas, Bhiwani amounting to Rs. 21,919/- (Rs. Twenty One Thousand Nine Hundred Nineteen only) the re-imbusement of Medical Bill of his husband from Life Line Multispeciality Hospital, Near Vidya Nagar Dharamshala, Meham Road, Bhiwani (un-approved) as per letter of Health Department bearing No. 2/24/2013-1HB dated 19.09.2016.


Sr. No.	Name of Claimant	Amount	Relation with Patient	Period of Treatment
1.	Smt. Suruchi W/o Late Sh. Kulwinder, PGT Physics, GSSS Nathuwas, Bhiwani	Rs. 21,919/-	Wife	30.05.2021 to 02.06.2021
(Rs. Twenty One Thousand Nine Hundred Nineteen only)				

**J. Ganesan
Special Secretary to Govt. Haryana
Secondary Education Haryana
Panchkula.**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 23.12.2021

1. District Education Officer, Bhiwani with reference to their letter No. E-2-21/6818 dated 15.09.2021 alongwith original case.
 2. Principal, Govt. Sr. Sec, School, Nathuwas, Distt. Bhiwani.
 3. Smt. Suruchi W/o Late Sh. Kulwinder, PGT Physics, GSSS Nathuwas, Bhiwani
 - ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website of the Directorate.
- D.A/as above.



**Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate of Secondary Education

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 4/47-2021 HRME-I (4)**Dated, Panchkula 22.12.2021**

The additional charge of Assistant O/o BEO, Bhuna, Fatehabad is hereby given to Smt. Meenakshi Rani, Senior Scale Stenographer O/o DEO, Fatehabad in addition to her present duties with immediate effect.

VIVEK KALIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. No. Even**DATED, PANCHKULA 27.12.2021**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Fatehabad.
2. BEO, Bhuna, Fatehabad.
3. OSD/CM
4. PS/DSE.
5. PA/Additional Director Admn-II.
6. IT Cell is requested to upload the database as well as upload the order at Departmental website please.

SUPERINTENDENT HRME-I
For DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

E:\Anju Bala HRME\OFFICE ORDER\Office order 2016.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253






GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGSSS-Baraut[2311], Kurukshetra
Principal GMSSSS-Khairi[2321], Kurukshetra
Principal GSSS-Bhiwani Khera[2352], Kurukshetra
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारों खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Baraut (Kurukshetra) [2311]	Balance Amount for Const. of 3 Class rooms	495000.00
2 GSSS Khairi (Kurukshetra) [2321]	Balance Amount for Const. of 3 Class rooms	753000.00
3 GSSS Bhiwani Khera (Kurukshetra) [2352]	Balance Amount for Const. of 3 Class rooms	398000.00
	कुल राशि	1646000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला। 2



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सवा में

Head Master GHS-Diwana[2431], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2020 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Diwana (Kurukshetra) [2431]	Renovation of Class Rooms	497000.00
	कुल राशि	497000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:-


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकूला:- 21/04/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त चरखी दादरी
5. जिला शिक्षा अधिकारी, चरखी दादरी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी चरखी दादरी
8. उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/बाढ़ड़ा/बाढ़ड़ा/
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

संवा म

Principal GSSS-Bahu-jholri[3144], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय

Revalidation Sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bahu-jholri (Jhajjar) [3144]	Repair of Rooms and White Wash	1136800.00
कुल राशि		1136800.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:-


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी झज्जर
8. उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Shergarh[2295], Kaithal

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय Revalidation Sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Shergarh (Kaithal) [2295]	Repair Work	1285000.00
कुल राशि		1285000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

(Handwritten Signature)

सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कैथल
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कैथल
8. उप-खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढाण्ड/राजौन्द
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

27/12/21
Acceptable.


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Khairi[2321], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 29-11-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2020 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Khairi (Kurukshetra) [2321]	Main Gate, Cycle Stand, Water Tank, Rasta	1289000.00
	कुल राशि	1289000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैज (शिक्षा निदेशालय)।

Sandeep Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentरामतो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Babain[2392], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकूला 29-11-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2020 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Babain (Kurukshetra) [2392]	Badminton Court, Water Tank, Cycle Stand, Parapat Wall	1486000.00
	कुल राशि	1486000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 28/12/21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sankar Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Chhachharauli[205], Yamuna Nagar

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 22-12-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2020 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Chhachharauli (Yamuna Nagar) [205]	Major Repairs of ACRs and Toilets	996500.00
कुल राशि		996500.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला: 27/12/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी यमुनानगर
8. उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

27/12/2021
A. K. K. K.

Santosh Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Bahu-jholri[3144], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय

Revalidation Sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bahu-jholri (Jhajjar) [3144]	Repair of Rooms and White Wash	1136800.00
	कुल राशि	1136800.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 23-12-21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी झज्जर
8. उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Paintawas Kalan[372], Charkhi Dadri
Principal GSSS-Chappar[388], Charkhi Dadri
Head Master GHS-Charkhi[486], Charkhi Dadri
Head Master GGHS-Dohki[491], Charkhi Dadri
Head Master GHS-Paintawas Khurd[504], Charkhi Dadri
Principal GSSS-Sarangpur[531], Charkhi Dadri
Head Master GHS-Ghikara[564], Charkhi Dadri
Head Master GHS-Rasiwas[582], Charkhi Dadri
Principal GSSS-Atela Khurd[4123], Charkhi Dadri

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय

Revalidation Sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Paintawas Kalan (Charkhi Dadri) [372]	Repair of School Building	1281000.00
2 GSSS Chappar (Charkhi Dadri) [388]	Repair of School Building	700000.00
3 GHS Charkhi (Charkhi Dadri) [486]	Building Repair	696000.00
4 GGHS Dohki (Charkhi Dadri) [491]	Const. of Cycle Stand	1432000.00
5 GHS Paintawas Khurd (Charkhi Dadri) [504]	Repair Work	852000.00
6 GSSS Sarangpur (Charkhi Dadri) [531]	Repair of School Building	1432000.00
7 GHS Ghikara (Charkhi Dadri) [564]	Const. of Cycle Stand	1432000.00
8 GHS Rasiwas (Charkhi Dadri) [582]	Const. of Cycle Stand	1478000.00
9 GSSS Atela Khurd (Charkhi Dadri) [4123]	Repair of School Building	890000.00
कुल राशि		10193000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकूला:- 23/12/21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त चरखी दादरी
5. जिला शिक्षा अधिकारी, चरखी दादरी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी चरखी दादरी
8. उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/बाढ़ड़ा/बाढ़ड़ा/
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Head Master GHS-Diwana[2431], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2020 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Diwana (Kurukshetra) [2431]	Renovation of Class Rooms	497000.00
	कुल राशि	497000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत बहन करना होगा।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Principal GGSSS-Baraut[2311], Kurukshetra
 Principal GMSSSS-Khairi[2321], Kurukshetra
 Principal GSSS-Bhiwani Khera[2352], Kurukshetra
 यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)
 दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Baraut (Kurukshetra) [2311]	Balance Amount for Const. of 3 Class rooms	495000.00
2 GSSS Khairi (Kurukshetra) [2321]	Balance Amount for Const. of 3 Class rooms	753000.00
3 GSSS Bhiwani Khera (Kurukshetra) [2352]	Balance Amount for Const. of 3 Class rooms	398000.00
	कुल राशि	1646000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 12.04.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Shergarh[2295], Kaithal

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय Revalidation Sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Shergarh (Kaithal) [2295]	Repair Work	1285000.00
	कुल राशि	1285000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कैथल
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कैथल
8. उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढाण्ड/राजौन्द
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

✓
12/12/21
Awadhya

Awadhya
सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

**Government of Haryana
School Education Department
Chandigarh**

Order No. 3/4-2021 PGT-IV (3)

Dated, Chandigarh, 17.12.2021

Sh. Jai Singh [015696], PGT Chemistry is hereby adjusted at Govt. Sr. Sec. School, Sarai Khwaja [998] Faridabad after re-patriation from HSSPP, Panchkula with the condition to participate in next Teachers' Transfer Drive.

**Dr. Mahavir Singh
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Chandigarh.**

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 23-12-21

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. State Project Director, HSSPP, Panchkula.
3. District Education Officer, Faridabad.
4. Principal. Govt. Sr. Sec. School, Sarai Khwaja [2120998] Faridabad.
5. Concerned official.
- ✓ 6. IT Cell.


**Dy. Superintendent, PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 12/102-2021 PGT-IV (1)

Dated: 21.12.2021

Sanction is hereby accorded to the re-imbusement of Medical Charges amounting to Rs. 3,22,572 (Rs. Three Lac Twenty Two Thousand Five Hundred Seventy Two only) to Smt. Suruchi W/o Late Sh. Kulwinder, PGT Physics, GSSS Nathuwas, Bhiwani for the treatment of her husband from Medanta – The Medicity, Gurgaon (approved) which is on the panel of Haryana Government.

Sr. No.	Name of Claimant	Amount	Relation with Patient	Period of Treatment
1.	Smt. Suruchi W/o Late Sh. Kulwinder, PGT Physics, GSSS Nathuwas, Bhiwani	Rs. 3,22,572/-	Wife	02.06.2021 to 06.06.2021
(Rs. Three Lac Twenty Two Thousand Five Hundred Seventy Two only)				

1. The re-imbusement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/Haryana Services (Medical Attendants) Rules, 1940.
2. It should be certified by the authorized Medical Attendant that the Medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the Patient and that no cheaper substitute was possible.
3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.


**J. GANESHAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA.**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 23.12.2021


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Bhiwani w.r.t. to their Memo No. E-2-21/6818 dated 15.09.2021. Original Medical Bills and vouchers are attached herewith.
3. Treasury Officer, Concerned.
4. Principal, GSSS Nathuwas, Bhiwani.
5. Superintendent Budget Branch (Local).
6. Smt. Suruchi W/o Late Sh. Kulwinder, PGT Physics, GSSS Nathuwas, Bhiwani.
7. I.T Cell to upload the orders on the website of Directorate.


**Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER NO. 2/2-2016 HRME-I (4)

DATED, PANCHKULA: 22.12.2021

The following officials are hereby transfer/adjustment with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1	Sh. Hari Om (36326), Assistant	O/o BEO Lakhn Majra (5049) Distt. Rohtak.	O/o DEO, Hisar (4158)	A/V. Due to non-availability of vacant post in O/o BEO, Lakhn Majra (5049).
2	Sh. SurajBhan (41525), Assistant	O/o BEO, Mahendergarh (5080)	O/o BEO, Siwani (5121), Distt. Bhiwani	A/V. Due to non-availability of vacant post in O/o BEO, Mahendergarh (5080)

Note :-

1. The officials will be relieved immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination office for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ. If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, it should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
4. The condition that officials have not been joined previous transfer place of posting is implemented on Cancellation Order.
5. The officials will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
6. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the officials at your own level.

VIVEK KALIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

DATED PANCHKULA, 27/12/2021

ENDST. No. Even

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rohtak/Hisar/Mahendergarh/Bhiwani.
2. Secy. OSD/CM.
3. PS/DSE.
4. PA/AD Admn-II.
- ✓ 5. IT Cell.
6. HRME-II Branch.
7. Data Entry Operator (HRME-I Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.


SUPERINTENDENT HRME-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA